न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 28 / 2018

ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत कैथवाडा तहसील पहाडी जिला भरतपुर जरिये व्यवस्थापक गोकुल चन्द

..... अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, (द्वितीय) भरतपुर .....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 23–11–2017 प्रकरण संख्या 87 / 17

उपस्थितिः–

1–विमल सिंह ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
2–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

निर्णय

दिनांक 06.08.2019

अपीलान्ट ने यह अपील तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2017 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत जाकर अपीलांट को अपना पक्ष रखने का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना जो एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किया है के खिलाफ पेश की गई है। न्यायालय द्वारा आरोपित आरोप कि अपीलांट द्वारा निलम्बित अचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चन्द डीलर की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत माह अप्रैल 2017 के खाद्यान्न क का उठाव नहीं किया है, सरासर गलत व विपरीत रिकॉर्ड है। क्योंकि तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.17 के अनुसार श्री रमेश चन्द उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत कैथवाडा तहसील पहाडी के द्वारा माह अप्रैल 2017 के खाद्यान्न की राशि खाद्यान्न थोक विक्रेता के यहा जमा नहीं कराने पर डीलर रमेश के प्राधिकार पत्र को आगामी आदेश तक निलम्बित कर उक्त दुकान की वैकल्पिक वितरण व्यवस्था के लिये अपीलांट को अस्थाई रूप से अधिकृत किया था। उक्त आदेश अपीलांट को प्राप्त होने पर उक्त आदेश की पालना में अपीलांट द्वारा खाद्यान्न थोक विक्रेता से सम्पर्क कर समुचित राशि की व्यवस्था कर उक्त दोनों माह की खाद्य सामिग्री प्राप्त कर ली थी। उक्त से यह सिद्ध होता है कि खाद्यान्न के उठाव से इंकार अपीलांट द्वारा नहीं किया गया वरन् डीलर रमेश चंद के द्वारा किया गया था।जिसके दण्ड स्वरूप उसके लाईसेंस को निलम्बित किया जाकर अपीलांट को वैकल्पिक वितरण

व्यवस्था दी गई थी। अतः न्यायालय द्वारा आरोपित आरोप संख्या एक काबिले खारिज है। तहत न्यायालय ने मात्र प्रवर्तन निरीक्षक महोदय पहाडी के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 के आधार पर जो आदेश पारित किया है विधि विरूद्ध विपरीत पत्रावली है क्योंकि प्रवर्तन निरीक्षक महोदय पहाडी द्वारा की गई जांच दिनांक 15.05.17 व पर्चा चार्ज स्थानानतरण दिनांक 27.06.18 में ही आपस में भारी विरोधाभास है जिससे यह साबित रहता है कि दिनांक 15.05.2017 अपीलांट की दुकान पर मौके पर किसी भी प्रकार से कोई जांच की कार्यवाही नहीं की गई थी । उक्त दुकान 15.05.2017 को भी अपीलांट की दुकान पर समस्त उचित मूल्य का सामान मुताबिक रिकॉर्ड के था जो कि अपीलांट द्वारा उसके लईसेंन्स के निरस्त होने पर उसके द्वार दिये गये चार्ज दिनांक 27.06.2017 के द्वारा साबित रहती है जो कि प्रवर्तन निरीक्षक पहाडी की मोजूदगी में डीलर सुगढ सिंह को दिया गया था। फिर भी तहत न्यायालय द्वारा अपीलांट के लाईसेस को निरस्त कर जो कठोर दण्डात्मक कर्यवाही की गई है सरासर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विरूद्ध व ईसी एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। वक्त जांच मोके पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं की गई थी। नाहि उपलब्ध स्टाक का किसी भी प्रकार से कोई भोतिक सत्यापन किया गया जबकि विधिनुसार वक्त जांच मौके पर ही तलपटी बनाकर उसमें इसका इन्द्राज किया जाना चाहिए था तथा भौतिक सत्यापन कि समस्त कार्यवाही किस प्रकार सम्पन्न कि गई इसका समस्त विवरण सिलसिलेवार उल्लेख किया जाना चाहिए था। किन्तु उक्त कार्यवाही में समस्त प्रावधानों का उल्लघन किया गया है जबकि मौके पर अपीलांट की दुकान पर गेंहू व कैरोसीन का समस्त स्टॉक नियमानुसार पूरा था जिसे तहत न्यायलय के आदेश की अनुपालना में प्रवर्तन निरीक्षक महोदय पहाडी द्वारा दिनांक 27.06.17 को उचित मूल्य दुकानदार सुगड सिंह को मय पोस मशीन अपीलंट द्वार संभलवाया दिया गया था। किसी भी व्यक्ति को उसको अपने बचाव करने का युक्ति युक्त अवसर दिया जाना आवश्यक है बिना उसको अपना पक्ष व साक्ष्य रखने का कोई मौका दिये बगैर जल्दबाजी में उसके विरूद्ध निर्णय पारित कर उसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तहत न्यायालय ने जैर अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,11 व 18 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। जबकि तहत न्यायालय की पत्रावली पर उक्त प्राधिकार पत्र जो अपीलांट को जारी किया गया है की प्रति संलग्न नहीं है, अपीलांट द्वारा कही भी कभी भी किसी प्रकार से इन शर्तों कोई उल्लघन नहीं किया है तथा तहत न्यायालय द्वारा भी अपने आदेश यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन शर्तों का उल्लघन किस प्रकार से किया गया है नाहि तहत पत्रावली में कोई इस प्रकार का साक्ष्य है कि जिससे यह सिद्व होता है कि अपीलांट द्वार इन शर्तों का उल्लघन किया है। तहत न्यायालय को संदेह से परे जाकर यह साबित करना रहता है कि अपीलांट द्वारा

इन शर्तों का उल्लघन स्पष्ट रूप से किया है मात्र अपने आदेश मे यह लिख देना ही पर्याप्त नहीं है कि अपीलांट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है जिसमें साक्ष्य व आधार पर सिद्ध माना गया और अपीलांट के जवाब को किस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया। न्यायिक दृष्टि से कोई भी कानून तब लागू होता है जबकि तथ्यात्मक आरोप साक्ष्य के आधार पर सिद्ध हो जावे इस प्रकार से अपीलांट के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 23.11.17 को नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी का होने के कारण काबिल खारिज है। अपीलांट नियमित रूप से दुकान खोलता है। तथा राशन सामग्री उपलब्ध होने पर नियमानुसार वितरण करता है जिससे सभी उपभोक्ता संतुष्ट है। प्रार्थी के पूरे परिवार का भरण पोषण उचित मूल्य की दुकान पर ही निर्भर थ एवं प्रार्थी के पास परिवार का पेट भरने के लिए अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। अतः तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.17 को निरस्त फरमाया जावे। अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि उक्त जैर अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेस्पो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि वक्त जांच अप्रार्थी डीलर की दुकान पर 948 किग्रा0 गेहूं व 260 लीटर कैरोसीन कम पाया गया था तथा अप्रार्थी डीलर के द्वारा वैकल्पिक उचित मूल्य दुकानदार को स्टॉक हस्तान्तरण 15.98 क्विंटल गेहूं व 1182 लीटर कैरोसीन का किया गया है। अप्रार्थी डीलर के द्वारा जांच के समय सहयोग नहीं किया गया तथा तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी डीलर के द्वारा स्टॉक रिकार्ड के संधारण व राशन सामग्री का भण्डारण बिना पूर्व सूचना के प्राधिकृत स्थल से भिन्न स्थान से किया गया है। स्टाक हस्तान्तरण दिनांक 27.06.2017 को किया गया है जो जांच व विभागीय प्रकरण दर्ज होने के बाद किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1,5,11 व 18 का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेस्पो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं

आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नही कहना है।

तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 1,5,11 व 18 का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया ।

(डॉ. आरुषी मलिक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official